महत्वपूर्ण / समयबद्ध
Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"सूचना प्रकोष्ठ वर्ग"
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradu Uttrakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक–1280/16 एम0–सू0प्र0/16 दिनांक–26 /07/2016

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कपकोट शामा तेजम मोटर मार्ग के किमी0 21 से ग्राम पनौरा को जोड़ने हेतु सरयू नदी पर 70 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण कार्य का अनुबंध संख्या 03/एस0ई0–01/10 दिनांक 07.08.2010,. मै0 चन्द्री चन्द, बैंक रोड, पिथौरागढ़ के नाम रू0 18606999.60 मात्र का गठित किया गया था, जिसके तहत् सेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.08.2010 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 06.02.2012 थी। ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया, जबकि अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु पत्र लिखे गये।

ठेकेदार श्री चन्द्री चन्द को मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 1090/129 परिवाद–कु0/2010 दिनांक 18.05.2015 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब न मिलने पर पुनः मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक 2662/129 परिवाद–कु0/2013 दिनांक 15.06.2015 द्वारा साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसका उत्तर ठेकेदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.05.2015 द्वारा दिया गया। मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा के द्वारा परीक्षण करने पर ठेकेदार का जबाब सन्तोषजनक नहीं पाया गया। ठेकेदार के जबाब के परीक्षण में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0विभाग, अल्मोडा द्वारा जबाब के परीक्षण में पाया गया कि

ठेकेदार का यह कथन कि उनको सेतु की ड्राइंग दिनांक 23.03.2011 को 04 माह बाद उपलब्ध करायी गयी सत्य नहीं है, क्योंकि ठेकेदार को फैब्रिकेशन का भुगतान दिनांक 29.03.2011 को कर दिया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि ठेकेदार को ड्राइंग समय पर उपलब्ध करा दी गयी थी। ठेकेदार द्वारा एम0बी0 संख्या–32 एल के पृष्ठ संख्या 166 में भुगतान किये जाने वाले सेतु के फैब्रिकेटेड पार्टस को अपने कब्जे में होना अंकित किया जाना तथा भुगतान भी प्राप्त किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि ठेकेदार को उक्त तिथि अर्थात दिनांक 29.03.2011 से पूर्व ही ड्राइंग उपलब्ध करा दी गयी थी।

विभाग द्वारा बार–बार लिखे जाने के बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य को समय से पूर्ण करने में कोई रूचि नहीं दिखाई गयी तथा सेतु के इरेक्शन का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण नहीं कराया गया, साथ ही ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु भी कोई आवेदन उस समय तक नहीं किया गया, जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि (दिनांक 06.02.2012) निकल चुकी थी। माह सितम्बर 2012 तक सेतु का इरेक्शन का कार्य अपूर्ण था एवं नट बोल्ट पर नदी से सपोर्ट लगाकर छोड़ा गया था तथा कुछ डाइग्लोनल्स मेम्बर्स भी नहीं लगाये गये थे। ठेकेदार द्वारा अधूरे इरेक्टेड पुल की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध भी नहीं किये गये थे, जिसके कारण दिनांक 12.09.2012 को सरयू नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण पुल में लगे टेक बह गये तथा पुल टेड़ा हो गया। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट ने अपने पत्रांक 1386/ अनु0 दिनांक 14.09.2012 द्वारा असुरक्षित खड़े पुल के सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा पुल की सुरक्षा हेतु कोई उपाय नहीं किया गया तथा दिनांक 23.09.2012 को पुल नदी में गिर गया। इस प्रकार पुल के गिरने के लिये ठेकेदार को दोषी पाया गया।

ठेकेदार को वर्षा से पूर्व कार्य पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट द्वारा निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट ने अपने पत्रांक 8/1 ए सी दिनांक 02.01.2012, पत्रांक 422/1 ए0सी0 दिनांक 16.04.2012, सहायक अभियन्ता के पत्रांक 615/अनु0 दिनांक 04.06.2012, पत्रांक 254/अनु0 दिनांक 25.07.2012 द्वारा ठेकेदार को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये तथा दिनांक 12.09.2012 की

क्रमशः पेज 2 पर

रात्रि को सेतु के टेढा होने पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट के पत्रांक 1386/ अनु0 दिनांक 14.09.2012 द्वारा सेतु को तत्काल प्रभाव से वॉछित स्थिति में लाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के बाद भी ठेकेदार द्वारा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के कारण दिनांक 23.09.2012 को सेतु क्षतिग्रस्त हो गया।

श्री लोकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (कु0क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 15.11.2012 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सेतु निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। विशेष रूप से आर0सी0सी0 के कार्यों में अत्यधिक हनीकाम्बिंग, सरिया का दिखाई देना, खाली सीमेन्ट के कट्टों की पेकिंग भी आर0सी0सी0 में दबा हुआ पाया जाना तथा दाहिने अबटमेन्ट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु सी0सी0 ब्लॉक कार्य में मानकों से अधिक बड़े बोल्डरों का प्रयोग किया जाना है।

अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पत्रांक– 6076/973 सी0–01/2012 दिनांक 03.10.2012 द्वारा ठेकेदार को दोबारा इरेक्शन करने के निर्देश दिये गये। ठेकेदार द्वारा कार्य बार–बार विभाग द्वारा कहे जाने पर माह दिसम्बर 2012 में शुरू किया गया। इन परिस्थितियों में ठेकेदार को अधिक से अधिक श्रमिक लगाकर कार्य शीघ्र पूर्ण करा लेना चाहिये था। परन्तु ठेकेदार द्वारा पूर्व की भॉति लापरवाही बरती गयी तथा आधा–अधूरा इरेक्शन का कार्य कराया गया और पुल को पुनः वर्षा ऋतु में असुरक्षित छोड़ दिया गया। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट के पत्र संख्या– 1473/1 ए0सी0 दिनांक 24.09.2012, पत्र संख्या 224/अनु0 दिनांक 23.02.2013, पत्र संख्या 816/अनु0 दिनांक 17.05.2013, पत्र संख्या 974/अनु0 दिनांक 15.06.2013 एवं पत्र संख्या 1098/अनु0 दिनांक 26.06.2013 द्वारा कार्य को वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करने हेतु लिखे जाने के बावजूद विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों पर अमल न करते हुये इरेक्शन कार्य को पूर्ण न करना ठेकेदार के स्तर पर घोर लापरवाही का द्योतक है तथा असुरक्षित अधूरा इरेक्टेड पुल दिनांक 13–14/07.2013 को गिर कर क्षतिग्रस्त हो गया। अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या– 3672/973 सी0–01/2013 दिनांक 29.08.2013 द्वारा ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर इस पुल को पुनः इरेक्ट करने के निर्देश दिये परन्तु ठेकेदार द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि ठेकेदार के स्तर पर सेतु का इरेक्शन पूर्ण करने हेतु कोई गम्भीरता नहीं दिखायी गयी। इसी प्रकार वर्ष 2012 में पुल के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् भी पुनः इरेक्शन करने में ठेकेदार के स्तर पर लापरवाही एवं संवेदनहीनता का परिचय दिया गया तथा ठेकेदार द्वारा विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया गया।

सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1408/III(1)/15–04(51)रि0या0/15 देहरादून दिनांक 23.09.2015 द्वारा उक्त सेतु क्षतिग्रस्त निर्माण में अनियमितता बरते जाने के दृष्टिगत् तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय जांच हेतु दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की जांच आख्या दिनांक 17.12.2015 में भी इस बात की पुष्टि की गयी है, कि ठेकेदार द्वारा पुनः इस पुल को ठीक कर पूर्ण रूप से इरेक्शन करने का प्रयास नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में श्री चन्द्रीचन्द, ठेकेदार का उत्तर असंतोषजनक पाये जाने पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा के पत्र संख्या– 1666/129परिवाद–कु0/2016 दिनांक– 22.07.2016 से की गयी संस्तुति एवं तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, कु0क्षे0, लो0नि0विभाग, अल्मोडा की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 15.11.2012 के अनुसार सेतु निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने तथा लापरवाही बरतने पर एवं ई0 बी0सी0 बिनवाल, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0विभाग, हल्द्वानी की जांच आख्या दिनांक 17.12.2015 के आधार, शासन के पत्र संख्या 169/III(1)/16–04(51)रि0या0/15 दिनांक 05.02.2016 पर दिये गये निर्देशानुसार **ठेकेदार मै0 चन्द्री चन्द, बैंक रोड, पिथौरागढ** को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

(इं0 आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–I (मुख्यालय)
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,

क्रमशः पेज 3 पर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनके पत्र संख्या–169/III (1)/ 16–04(51)रि0या0/15 दिनांक 05.02.2016 के क्रम में सादर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिविल/पी0एम0जी0एस0वाई/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0, लो0नि0विभाग, देहरादून/पौडी/टिहरी/अल्मोडा/पिथौरागढ/हल्द्वानी।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता....., लो0नि0विभाग,..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेशों को अधीनस्थ खण्डों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0विभाग, देहरादून।
5. श्री चन्द्रीचन्द, ठेकेदार, निवासी– बैंक रोड, पिथौरागढ।
6. गार्ड पत्रावली।
7. आई0टी0 सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0विभाग, देहरादून को विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(इं0 आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–I (मुख्यालय)
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,